न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 31/2017

अपीलांट्स–

1. चिमनाराम पुत्र रामाराम
2. छोगाराम पुत्र रामाराम
3. रतनाराम पुत्र रामाराम
4. मोडाराम पुत्र मानाराम

जाति कलबी निवासी डाबली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. पूनमाराम पुत्र खीमाराम
2. भावाराम पुत्र खीमाराम
3. रूपाराम पुत्र हीराराम
4. रणछोड़ाराम पुत्र हीराराम
5. चिमनाराम पुत्र हीराराम
6. पन्नाराम पुत्र हीराराम
7. मोडाराम पुत्र किशनाराम
8. अर्जुनराम पुत्र भीमाराम
9. हड़मानराम पुत्र भीमाराम
10. रूपाराम पुत्र कलाराम
11. वरजोंगाराम पुत्र नरींगाराम
12. पन्नाराम पुत्र नरींगाराम
13. मफताराम पुत्र कलाराम
14. कानाराम पुत्र लालाराम

    जाति कलबी निवासी डाबली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
15. तहसीलदार गुड़ामालानी
16. शाखा प्रबंधक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमन्ना
17. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/2010/1179 दिनांक 16.12.2010 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. श्री राऊराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01 से 14 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, रेस्पोडेंट सं. 15 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 16 व 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 04/02/2020

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गुड़ामालानी के द्वारा मौजा डाबली के खसरा नम्बर 3, 4, 41, 2, 37, 54 व 122 कुल रकबा 272–05 बीघा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 16.12.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.03.2017 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश दिनांक 16.12.2010 पारित करने मे विधिक एवं तथ्यों की भूल की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरित मौका की कब्जा–काश्त की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही बंटवाड़ा कर दिया। अपीलांट्स की रहवासी ढाणियां एवं टांके इत्यादि को नजर अंदाज करते हुए विभाजन कर दिया है जो मौका स्थिति भिन्न होने से अपीलांट प्रभावित हो रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्तुत मे उपजाऊ एवं समतल भूमि रेस्पोडेंट्स के हिस्से मे रखी गई है, जबकि अपीलांट को धोरो वाली भूमि दी गई है जो पक्षकारान के आपसी बाहमी बंटवाड़ा से भिन्न होने से निरस्त योग्य हैं। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित होने का पूर्व मे कोई ज्ञान नही था तथा अर्सा पूर्व रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 14 द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर कब्जा करने एवं अपीलांट्स का कब्जा हटाने की कोशिश तब दिनांक 22.02.2017 को आवश्यक नकलें मांगी तो अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तथा जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट्स की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पक्षकारान के मौका कब्जा–काश्त व बाहमी बंटवाड़े के अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब मे प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंन्ट्स ने आपसी सहमती से करवाए गये बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि की अलग–अलग तरमीम की जा चुकी है जिसका नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकन हो गया है तथा मौके पर पक्षकारान का इसी अनुसार कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से आपसी सहमति से बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़ा अनुसार है। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान कोई उजर–ऐतराज नहीं किया गया जबकि अपीलांट को विभाजन की प्रारम्भ से ही जानकारी थी। हलका पटवारी द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में बाहमी बंटवाड़े के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव व नक्शा तैयार किया गया था जिसे अपीलांट्स ने स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान किए थे तथा स्वयं अपीलाट्स तहसीलदार के समक्ष पेश हुए हैं। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु पूर्ण सहमती प्रदान की थी। अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स यह भी प्रकट किया कि धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अनुसार आपसी सहमति से जारी किसी डिक्री या आदेश के विरूद्ध अपील चलने योग्य नही हैं। वर्तमान में अपीलांट के नियत में खोट आने के कारण रेस्पोडेन्ट्स की विकसित की गई भूमि को हड़पने की नियत से मनगढ़त एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत यह अपील पेश की गई है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया गया है, ऐसे में प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा डाबली के खसरा नम्बर 3, 4, 41, 2, 37, 54 व 122 कुल रकबा 272–05 बीघा कृषि भूमि वरजोंगा, पन्ना पिसरान नरींगा, खीमाराम, रूपाराम, रणछोड़ाराम, चिमनाराम, पन्नाराम पिसरान हीराराम, मोडाराम वल्द किशनाराम, अर्जुनराम, हड़मान पिसरान भीमा, काना वल्द लाला, चिमना, छोगा, रतना पिसरान रामा, मोडा, बुधरा पिसरान माना, रूपा वल्द कला कौम कलबी साकिन डाबली के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान द्वारा दिनांक 16.12.2010 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार अपनी खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु सहमति प्रदान की गई। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर हलका पटवारी बेरीगांव की रिपोर्ट का अवलोकन कर एवं पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती के आधार पर विभाजन प्रस्ताव आदेश दिनांक 16.12.2010 को स्वीकार किया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का विभाजन पक्षकारान के हिस्सा एवं कब्जानुसार नहीं किया गया जिससे अपीलांट्स की रहवासीय ढ़ाणियां व टांके इत्यादि रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आ गए हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं उनकी सम्पूर्ण सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी उसी दिन अपीलांट्स को हो गई थी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील के प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब के सम्बन्ध मे कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की उपस्थिति मे ही पारित किया गया है। अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील मे अन्यथा कोई विधिक या वाक्याती तौर पर कोई सारवान त्रुटि होने का तथ्य प्रकट नहीं किया है जिसकी जानकारी तत्समय अपीलांट को नही हुई हों। ऐसे मे प्रथम तो प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है जिसके बाबत कोई ठोस कारण प्रकट नही किया गया है, द्वितीय कि सहमति से कराये गये विभाजन के विरूद्ध इस अपील के विचारण योग्य होने बाबत भी कोई विधिक या वाक्याती आधार प्रकट नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर अधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2010 को यथावत बहाल रखा जाता हैं।

6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(राकेश कुमार शर्मा)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)